<u>न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), रामसनेहीघाट, कोर्ट सं०- 14, बाराबंकी</u>

मूलवाद सं०-01/1995

CNR No UPBB180000141995

बरपाराम सिंह बनाम बृजेश सिंह आदि

<u>15.02.2024</u>

पत्रावली पेश हुई।

वादी की ओर से प्रार्थना पत्र क-71 मय शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी सं० 1 बृजेश सिंह का देहान्त दिनांक 02.10.2022 को हो गया है। मृतक बृजेश सिंह मजकूर के उत्तराधिकारी व कायम मुकाम के रूप में उसकी विधवा पत्नी कमलादेवी (जो प्रस्तुत वाद में प्रतिवादिनी सं० 2 के रूप में पहले से ही पक्षकार है।) तीन पुत्र तथा दो पुत्रियां मौजूद हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति मृतक मजकूर के उत्तराधिकारी अथवा कायम मुकाम के रूप में मौजूद नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों पर प्रतिस्थापन चाहते हुए वाद पत्र में संशोधन चाहा गया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रतिवादी की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गयी है। कथन के समर्थन में शपथ पत्र दिया गया है। शपथ पत्र में अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है। वारिसान प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

वारिसान प्रार्थना पत्र क-71 स्वीकार किया जाता है। तदनुसार संशोधन अन्दर सात दिन करे।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 23.02.2024 को पेश हो।

(सोनम शर्मा)
सिविल जज (जू०डि०),
रामसनेहीघाट, कोर्ट नं0-14, बाराबंकी।